न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
116/18	25.10.2018	26.12.2018

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (R.A.S.)

उनवान

मुकेश पुत्र श्याम बिहारी जाति मीना निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. गेंलू पुत्र श्याम बिहारी जाति मीना निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. केलन्ता पुत्री श्याम बिहारी, पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी निमोदा उजाड तहसील दीगोद
3. शीला पुत्री श्याम बिहारी
4. तुलसा बाई बेवा श्याम बिहारी
5. कन्हैयालाल पुत्र श्री लाल जाति मीना निवासी निमोदा उजाड तहसील दीगोद जिला कोटा
6. रामस्वरूप पुत्र छीतर लाल (माता गीता बाई पुत्री श्रीलाल) जाति मीना निवासी रामपुरा भगवान तहसील मांगरोल जिला बांरा
7. सावित्री बाई पुत्री छीतर लाल (माता गीता बाई पुत्री श्रीलाल) पत्नी राम दयाल जाति मीना निवासी बालापुरा
8. गायत्री बाई पुत्री छीतर लाल (माता गीता बाई पुत्री श्रीलाल) पत्नी मोहनलाल जाति मीना निवासी पाण्डोला जिला श्योपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित– श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की ओर से

निर्णय

Scanned by CamScanner

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बमूलिया रावतान तहसील दीगोद में ख0नं0 171/393 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.68 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उपरोक्त भूमि श्रीलाल पुत्र हरदेव के खातें दर्ज चली आ रही थी। श्रीलाल पुत्र हरदेव की मृत्यु के बाद उनके वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 8 एक मात्र वारिसान है किन्तु भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 4–5 के कब्जें काश्त में ही चली आ रही है तथा उक्त भूमि पुश्तेनी भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 8 जाति से मीना है तथा मीना जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस कारण मीना जाति व समाज में पुरूष वर्ग मौजूद होनें पर महिलाओं का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे भी लडकियां अपनें ससुराल में निवास करती है। श्रीलाल पुत्र हरदेव की मृत्यु के बाद वादी के पिता श्याम बिहारी व प्रतिवादी नं0 5 पुरूष वर्ग मौजूद है इस कारण वादी व प्रतिवादी नं0 1 तथा 4–5 के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई अधिकार उक्त भूमि में प्राप्त नहीं होता है और न ही किसी प्रकार का अधिकार व कब्जा है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 तथा 5 पुरूष वारिस है व प्रतिवादी नं0 4 बेवा औरत है तथा उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी नं0 1 तथा 4–5 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के वादी व प्रतिवादी नं0 1 तथा 4–5 खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उपरोक्त भूमियों में से प्रतिवादी नं0 2–3 व मृतक गीता बाई जो मीना जाति की महिला है, का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नहीं है व प्रतिवादी नं0 2–3 व मृतक गीता बाई द्वारा अपनें पिता के जीवन काल में ही उपरोक्त भूमि में प्राप्त होनें वाले हिस्से का हक त्याग अपनें भाईयों व मां के हक में कर दिया है। इस कारण उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1 तथा 4 को 1/6, 1/6 हिस्से का कुल 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी नं0 9 से उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2–3 तथा गीता के वारिसान प्रतिवादी नं0 6–7–8 का नाम डिलीट किये जानें हेतु व वादी व प्रतिवादी नं0 1, 4–5 को खातेदार घोषित करनें हेतु कहा तो उनके द्वारा दिनांक 11.10.2018 को मना कर दिया। इस कारण वादी के लिये माननीय न्यायालय में वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 11.10.2018 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नं0 9 ने प्रतिवादी नं0 2–3 तथा गीता के वारिसान प्रतिवादी नं0 6–7–8 का नाम डिलीट करनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

Scanned by CamScanner

वाद पेश कर वादी ने प्रार्थना की है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम बमूलिया रावतान तहसील दीगोद में ख0नं0 171/393 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.68 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं0 2–3 तथा गीता के वारिसान प्रतिवादी नं0 6–7–8 का नाम डिलीट किये जानें व उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 1, 4 को 1/6, 1/6 हिस्से कुल 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 9 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बम्बूलिया रावतान संवत् 2074–77 खाता नं0 102
2. शपथ पत्र मुकेश पुत्र श्याम बिहारी आयु 22 वर्ष जाति मीना निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की ओर से वकील श्री धनराज मण्डावत का वकालतनामा पेश हुआ तथा दिनांक 26.10.2018 को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 8 ने उपस्थित होकर प्रकरण में इकबालिया जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 8 मीना जाति के सदस्य है प्रतिवादी नं0 2–3 मीना जाति की महिला है जो ससुराल में निवास करती है तथा मृतक गीताबाई के प्रतिवादी नं0 6–7–8 वारिसान है उनका विवादित भूमि में कोई हिस्सा न होना स्वीकार करते है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी नं0 1–4 अपनें 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादी नं0 5 अपनें 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। क्योकि प्रतिवादी नं0 2–3 व मृतक गीताबाई द्वारा अपनें पिता के जीवन काल में ही उपरोक्त भूमि में प्राप्त होनें वाले हिस्से का हक त्याग अपनें भाईयों व मां के हक में कर दिया है। प्रतिवादी नं0 2–3 तथा मृतक गीताबाई के वारिसान प्रतिवादी नं0 6–7–8 अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहते है इस कारण उनका नाम डिलीट किये जानें में एवं 1/2 हिस्सा का वादी, प्रतिवादी नं0 1–4 को व 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नं0 5 को खातेदार घोषित जानें में कोई आपत्ति नहीं है। इस तथ्य

Scanned by CamScanner

को स्वीकार करते है। राजीनामा प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 8 ने निवेदन किया कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जानें की सहमति प्रकट की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित किये। प्रस्तुत राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा विधिक विचारण किया। विवादित आराजी वाके ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 171/393 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.68 हे0 भूमि के वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 8 खातेदार राजस्व अभिलेख में अंकित है। विवादित आराजीयात् पूर्व में श्रीलाल पुत्र हरदेव जाति मीना की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। श्रीलाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 8 के नाम दर्ज हुई। कन्हैयालाल, श्याम बिहारी पुत्रान् गीताबाई पुत्री श्रीलाल, श्रीलाल के विधिक वारिसान् होना वादपत्र में अंकित पारिवारिक सजरे एवं राजस्व रिकॉर्ड से जाहिर आता है। श्याम बिहारी की भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान् वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 है तथा मृतक गीताबाई के प्रतिवादी नं0 6 ता 8 वारिसान् है, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी नें वाद पत्र के माध्यम से मृतक गीताबाई के वारिसान् का नाम मीना जाति का हवाला देते हुए डिलीट किये जानें की रिलीफ चाही है तथा मीना जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होनें एवं मीना जाति व समाज में पुरूष वर्ग मौजूद होनें पर महिलाओं का भूमि में कोई अधिकार नहीं होनें के कथन वाद पत्र में किये गये है, किन्तु मीना जाति में पुरूष वर्ग के मौजूद होते हुए महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होनें के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे माना जावें कि मीना जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है तथा पुरूष वर्ग के मौजूद होते हुए महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

चूंकि मृतक गीताबाई के वारिसान् प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 नें अपनें हिस्से 1/3 की आराजीयात् छोडनें की लिखित सहमति प्रकट की है, जिसका उल्लेख उभयपक्ष ने राजीनामा में किया है। प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 के द्वारा अपना हिस्सा छोडनें की स्थिति में उनका हिस्सा कन्हैयालाल एवं मृतक श्याम बिहारी के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 को 1/2–1/2 प्राप्त होगा। प्रकरण में मृतक श्याम बिहारी की पुत्रियां प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने अपना हिस्सा त्यागनें की सहमति प्रकट की है, जिससे प्रतिवादी नं0 2 व 3 का हिस्सा मृतक

Scanned by CamScanner

श्याम बिहारी के अन्य वारिसान् वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 4 ग्रहण करनें के अधिकारी है। इस प्रकार प्रकरण में अब यह तय है कि मृतक गीताबाई के वारिसान् प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 एवं प्रतिवादी नं0 2, 3 द्वारा अपना हिस्सा त्यागनें के परिणामस्वरूप प्रतिवादी नं0 5 का हिस्सा 1/2 एवं वादी तथा प्रतिवादी नं0 1, 4 का हिस्सा 1/2 ग्रहण करनें एवं खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 2, 3 एवं 6 लगायत 8 द्वारा अपना हिस्सा सहखातेदारान् के पक्ष में छोडे जानें के फलस्वरूप राजकीय हानि होना जाहिर होता है। प्रकरण में वादी द्वारा खातेदारी घोषणा एवं दुरूस्ती की रिलीफ चाही गई है, जो मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादी उभयपक्ष की सहमति के आधार पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 171/393 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.68 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मृतक गीताबाई के वारिसान् प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 एवं प्रतिवादी नं0 2, 3 का नाम डिलीट किया जावें तथा वादी मुकेश एवं प्रतिवादी नं0 1 गोंलू, प्रतिवादी नं0 4 तुलसा बाई को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 5 कन्हैयालाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 एवं 2, 3 का नाम डिलीट करनें के सम्बन्ध में तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 4, 5 से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 26/10/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

मुकेश पुत्र श्याम बिहारी जाति मीना निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. गोंलू पुत्र श्याम बिहारी जाति मीना निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. केलन्ता पुत्री श्याम बिहारी, पत्नी जगदीश जाति मीना निवासी निमोदा उजाड तहसील दीगोद
3. शीला पुत्री श्याम बिहारी
4. तुलसा बाई बेवा श्याम बिहारी
5. कन्हैयालाल पुत्र श्री लाल जाति मीना निवासी निमोदा उजाड तहसील दीगोद जिला कोटा
6. रामस्वरूप पुत्र छीतर लाल (माता गीता बाई पुत्री श्रीलाल) जाति मीना निवासी रामपुरा भगवान तहसील मांगरोल जिला बांरा
7. सावित्री बाई पुत्री छीतर लाल (माता गीता बाई पुत्री श्रीलाल) पत्नी राम दयाल जाति मीना निवासी बालापुरा
8. गायत्री बाई पुत्री छीतर लाल (माता गीता बाई पुत्री श्रीलाल) पत्नी मोहनलाल जाति मीना निवासी पाण्डोला जिला श्योपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–116/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी उभयपक्ष की

Scanned by CamScanner

[illegible] के आधार पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 171/393 रकबा 3.39 हे0, ख0नं0 268 रकबा 0.29 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.68 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मृतक गीताबाई के वारिसान् प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 एवं प्रतिवादी नं0 2, 3 का नाम डिलीट किया जावें तथा वादी मुकेश एवं प्रतिवादी नं0 1 गोंलू, प्रतिवादी नं0 4 तुलसा बाई को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 5 कन्हैयालाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 6 लगायत 8 एवं 2, 3 का नाम डिलीट करनें के सम्बन्ध में तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1, 4, 5 से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 26/10/2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner